

00001mL



जिलाधिकारी
मुजफ्फरपुर
15/10/04

दिनांक: 27/10/2004

शुभक,

श्रीमती सुनीता शर्मा,
विशेष अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर,
उत्तर प्रदेश।

कार्यिक अनुभाग-2

विषय:- काठजू उपजाति के पिलड़े जातियों का प्रमाण पत्र जारी किया जाना।
दिनांक: 07 अक्टूबर, 2004

महोदय,

उ.प्र. लोक सेवा आयोग के अधिनियमों, अधिनियमों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु संविधान 2002 की अनुसूची-एक में अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में आने वाली जातियों/उप जातियों को दर्शाया गया है। इसी सूची के क्रमांक 41 पर काठजू जाति को दर्शाया गया है। काठजू जाति के सम्बन्ध में यह संज्ञान में आया है कि कुछ प्रमाणों में काठजू जाति को पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है।

2. अतः मुझे यह कहने का निवेदन हुआ कि आरक्षण अधिनियम की अनुसूची-एक में आने वाली जातियों/उप जातियों में अधिनियम "काठजू" जाति को भी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दिनांक 22/10/92 की जी.टी. 111/का-2/2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2002 पर विहित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

आपकी,

श्रीमती सुनीता शर्मा
विशेष अधिकारी।

कार्यालय जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

पत्र संख्या 22/10/04

विशेष अधिकारी

दिनांक 27-10-04

प्रतिनिधि समस्त तहसीलदार अथवा मुख्यालय को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।